



म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल
ई-5, तवा काम्पलेक्स विट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल फोन नं. 2420301

दिनांक 05/03/2018

निविदा सूचना क्रमांक 43 वर्ष 2017-18 (द्वितीय आमंत्रण)

आउटसोर्स के माध्यम से कार्यपालक सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर एवं सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों की सेवाएँ लेने हेतु मुहरबंद निविदायें तीन लिफाफा पद्धति के आधार पर दिनांक 20.03.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रतिष्ठित पंजीकृत एजेंसियों से आमंत्रित की जाती है, जिसमें धरोहर राशि के रूप में राशि रू 50,000/- देय होगा। तकनीकी निविदा दिनांक 21.03.2018 को दोपहर 2:00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र तथा शर्तें कार्यालय से राशि रू 10,000/- + 1800/- जी.एस.टी. सहित कुल राशि रू 11,800/- जमा करने के पश्चात दिनांक 16.03.2018 समय 3:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र एवं निगम वेबसाईट www.mpakvnbhopal.nic.in में देखी जा सकती है।

- शर्तें:-
1. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कराया जायेगा।
 2. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र, गुमाश्ता लाईसेंस, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन एवं विगत तीन वर्ष का टर्न ओव्हर (एक करोड़) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन यंत्री

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल

कम्प्युटर आपरेटर / कार्यपालक सहायक / सुरक्षा
गार्ड / हेल्पर हेतु निविदा प्रपत्र

द्वितीय आमंत्रण

धरोहर राशि रू. 50,000 / -

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 10,000 / - + 1800 / -

जी.एस.टी. सहित कुल राशि रू 11,800 / -

निविदा क्रमांक -43 / 2017-18

दिनांक / 03 / 2018

निविदाकार / एजेंसी का नाम एवं पता _____

एम.आर. नं _____ दिनांक _____ राशि रू _____

निविदा प्रपत्र क्रय करने का दिनांक 16.03.2018 दोपहर 3.00 बजे तक।

निविदा जमा करने का दिनांक 20.03.2018 दोपहर 3.00 बजे तक।

तकनीकी ऑफर खोलने का दिनांक 21.03.2018 दोपहर 2.00 बजे तक।

कार्यपालन यंत्री

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल

द्वितीय आमंत्रण

कम्प्युटर आपरेटर/कार्यपालक सहायक/सुरक्षा गार्ड/हेल्पर हेतु निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम:—

कार्यालयीन कार्य हेतु 10 नं. कम्प्युटर आपरेटर, 01 नं. कार्यपालक सहायक, 50 नं. सुरक्षा गार्ड एवं 10 नं. हेल्पर की सेवाओं की आवश्यकता बावत्।

क्र.	विवरण	शैक्षणिक योग्यता	दी जाने वाली दरें प्रतिमाह (रु)	कार्य अवधि
1.	कार्यपालक सहायक (01 नं.)	स्नातक	25,000.00	एक वर्ष
2.	कम्प्युटर ऑपरेटर (10 नं.)	स्नातक/पी.जी.डी.सी.ए.	10660.00	
3.	हेल्पर (10 नं.)	आठवी	7125.00	
4.	सुरक्षा गार्ड (50 नं.)	आठवी	7125.00	

सभी पदों के लिये निविदा प्रपत्र क्रय किया जाना आवश्यक होगा एवं निविदा प्रपत्र में दिये गये शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त कर्मचारियों में कम्प्युटर ऑपरेटर एवं हेल्पर को नियमानुसार व्हीकली रेस्ट 4.33 प्रतिशत देय होगा।

संबंधित निविदा बाह्य सेवा प्रदायकर्ता (Outsourcing) को देय सर्विस चार्ज के आधार पर आमंत्रित की गई है। केन्द्र शासन/राज्य शासन को देय सभी टेक्स का वहन नियमानुसार विभाग द्वारा किया जायेगा।

1. धरोहर राशि रु 50,000/- जो म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल के नाम देय होगा।
2. निविदा प्रपत्र की राशि रु 10,000/- + 1800/- जी.एस.टी. कुल राशि रु 11800/- अधिकतम होगी।

- 1.1 निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु अंतिम तिथि : 16.03.2018 साँय 3:00 बजे तक
- 1.2 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 20.03.2018 साँय 3:00 बजे तक
- 1.3 तकनीकी ऑफर खोलने का समय एवं दिनांक : 21.03.2018 दोपहर 2.00 बजे तक
- 1.4 स्थान : कार्यपालन यंत्री कक्ष
- 1.5 समयावधि : एक वर्ष/आवश्यकतानुसार सेवाएँ परस्पर सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

1. पात्रता एवं शर्तें:-

01. एजेन्सी को कम्प्युटर आपरेटर/कार्यपालक सहायक/सुरक्षा गार्ड/हेल्पर उपलब्ध कराने हेतु वैध पंजीयन की प्रतिलिपि आवेदन के साथ देना अनिवार्य है।
02. धरोहर राशि एफ.डी.आर./डी.डी. के रूप में प्रबंध संचालक, औ.के.वि.नि.भोपाल के नाम ही स्वीकार्य होगी।
03. वित्तीय ऑफर खोलने का समय एवं दिनांक अलग से सूचित किया जावेगा जो एजेन्सी तकनीकी अर्हातायें की पूर्ति करेगीं उन्ही के वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे।
04. एजेन्सी गत 03 वर्षों में औसतन प्रतिवर्ष कम से कम 35 कर्मचारी (50 प्रतिशत) कर्मचारियों की सेवायें किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान/ सार्वजनिक उमकर्मों में प्रदान करने का अनुभव होना चाहियें एवं इसके प्रमाण स्वरूप उक्त संस्थाओं से प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
05. एजेन्सी को निगम सेवा देने हेतु रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनशिप फर्म या प्रोप्रायटरी फर्म होना चाहिए।
06. एजेन्सी का म.प्र. में कम से कम एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।
07. एजेन्सी को गत तीन वर्षों का इनकम टेक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
08. एजेन्सी को सेवा प्रदान करने संबंधी कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
09. एजेन्सी को, सेवा प्रदान करने के कार्य का गत तीन वर्षों का प्रतिवर्ष टर्न ओव्हर कम से कम रु. 1.00 करोड़ (एक करोड़) होना चाहिए। इस हेतु गत तीन वर्षों की ऑडिटेड बैलेंसशीट प्रस्तुत करना होगी।
10. एजेन्सी जी.एस.टी. टेक्स एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
11. एजेन्सी के पास ई.एस.आई. कारपोरेशन के वैध प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
12. एजेन्सी के पास ई.पी.एफ. एवं मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत वैध प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
13. एजेन्सी के पास मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पालन संबंधी दस्तावेज होना चाहिए।
14. एजेन्सी को वर्ष **2017-2018** तक की सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. क्लियरेंस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसका सत्यापन निगम द्वारा संबंधित विभाग से आवश्यकता होने की स्थिति में कराया जा सकता है।
15. एजेन्सी के पास वर्तमान में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कर्मचारियों की सेवा प्रदान करने के कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए।
16. प्रदायकर्ता एजेन्सी द्वारा अथवा प्रदाय कर्मचारियों के द्वारा किसी लाभ/क्षतिपूर्ती/सेवा के संविलियन/नियमितीकरण का कोई दावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या टैका श्रमिक (रेगुलेशन एबालिशन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जावेगा। इस आशय का अनुबंध संबंधित

व्यक्ति से प्रदायकर्ता एजेन्सी द्वारा किया जाकर इस संस्था को उपलब्ध कराना होगा।

17. (17-अ) कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/सुरक्षा गार्ड/हेल्पर के पद हेतु कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता/अनुभव निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

क्र.	विवरण	शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क	कार्य अवधि
1.	कार्यपालक सहायक (01 नं.)	स्नातक	मुख्यालय एवं अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों हेतु	एक वर्ष
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (10 नं.)	स्नातक/ पी.जी.डी.सी.ए.	तदैव	
3.	हेल्पर (10 नं.)	आठवीं	तदैव	
4.	सुरक्षा गार्ड (50 नं.)	आठवीं	मुख्यालय, अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु	

18. कर्मचारी की आयु सीमा शासन के नियमानुसार न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 55 वर्ष। सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में 65 वर्ष से अधिक न हो। उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी शारीरिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है।
19. कर्मचारी प्रदायकर्ता एजेन्सी द्वारा आवेदकों का चयन उनकी योग्यता/अनुभव/दक्षता आदि के संबंध में परीक्षण कर किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हों।
20. संस्था में निर्धारित कार्य यदि कार्यालयीन समय में पूर्ण नहीं होता है तो कार्यालयीन समय के अतिरिक्त समय अथवा अवकाश के दिनों में निर्धारित कार्य करने हेतु कर्मचारी को तैयार रहना होगा। इस हेतु अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
21. पात्रता हेतु निर्धारित सभी शर्तों से संबंधित स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेज तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. एजेन्सी को पेन नम्बर एवं टिन नम्बर/जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
23. एजेन्सी को आवश्यकता होने पर लेबर लायसेंस प्रमाणपत्र की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
24. प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियां स्वम्रमाणित की जाना अनिवार्य है।
25. कम्पनी को प्रतिमाह भुगतान की अनुबंधित सेवाओं के लिये गये कर्मचारियों के ई.एस.आई., ईपी.एफ एवं सर्विस टेक्स भुगतान संबंधी रसीदें कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात ही भुगतान किया जा सकना संभव होगा।

2. निविदा की वैधता:-

निविदा वित्तीय ऑफर खुलने से 90 दिन तक वैध रहेगी ।

3. समयावधि :-

कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी तथा आगामी वर्षों के लिए इन्ही शर्तों के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से सेवायें बढ़ाई जा सकती है ।

4. निविदा का मूल्यांकन:-

01. निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं शर्तों के आधार पर निविदा का मूल्यांकन किया जावेगा ।

02. जो तकनीकी ऑफर निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं होंगे, वे निरस्त कर दिये जावेंगे ।

03. निरस्त तकनीकी आफरों वाली एजेंसियों के वित्तीय ऑफर नहीं खोले जावेंगे तथा वापस कर दिये जावेंगे ।

04. दो या दो से अधिक निविदाकारों की दरें एक समान होने पर आवश्यकतानुसार एजेंसी का चयन लाटरी पद्धति से किया जावेगा तथा अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा। जो सभी निविदाकारों को अनिवार्य रूप से मान्य करना होगा ।

05. समय-समय पर आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की सेवाओं में वृद्धि अथवा कमी हेतु कार्यादेश प्रदान किया जायेगा ।

5. तकनीकी निविदा खोलना:-

दिनांक 26.02.2018 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तकनीकी ऑफर खोले जावेंगे, इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी । तकनीकी रूप से सक्षम निविदाकारों के वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे इस हेतु पृथक से निर्धारित दिनांक एवं समय की सूचना दी जावेगी ।

6. निविदा प्रपत्र का मूल्य:-

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 10,000/- (दस हजार) + 1800/- जी.एस.टी. कुल राशि रू 11800/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर या नगद के रूप में स्वीकार किया जावेगा ।

7. धरोहर राशि:-

01. धरोहर राशि रू. 50,000/- (पचास हजार मात्र) केवल का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के नाम देय होगा ।

02. कार्यादेश के उपरान्त कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में धरोहर राशि म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल के पक्ष में जप्त कर ली जावेगी ।

03. कार्यादेश प्रदान किये गये निविदाकार की धरोहर राशि, अनुबंध समाप्त होने के उपरान्त वापस की जावेगी । शेष निविदाकारों की धरोहर राशि कार्यादेश जारी होने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी ।

04. तकनीकी रूप से अक्षम निविदाकार की धरोहर राशि तकनीकी मूल्यांकन उपरान्त वापस कर दी जावेगी ।

8. सफल निविदाकार को स्वीकृत निविदा राशि का **5 प्रतिशत** की राशि धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./डी.डी./बैंक गारण्टी के रूप में म.प्र.औ.के.वि.नि., भोपाल के पक्ष में जमा करानी होगी। इस राशि को विमुक्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. औ.के.वि.नि. भोपाल, को होगा।
9. **दरें:**
कर्मचारियों हेतु बेसिक दरें शासन/श्रमायुक्त म.प्र.द्वारा कुशल/अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दर होगी तथा समय-समय पर श्रमायुक्त/शासन द्वारा अनुबंध की अवधि में पुनरीक्षित होने की दश में पुनरीक्षित दरें भुगतान योग्य होगी।
10. **आदेश निरस्तीकरण:-**
यदि न्यूनतम निविदाकार द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा।
11. **भुगतान:-**
1. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
 2. कार्यरत कर्मचारियों उपस्थिति प्रमाणित होने एवं ई.एस.आई., ई.पी.एफ., क्लियरेंस प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।
12. **न्यूनतम दर निविदा:-**
न्यूनतम दर निविदा या अन्य कोई भी निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा।
13. **अनुबंध:-**
सफल निविदाकार को रु. 500.00 (पांच सौ) के नॉन -ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रारूप (संलग्न) अनुसार अनुबंध संपादित करना होगा।
14. **वाद:-**
किसी भी प्रकार का वाद जो 40 दिवस तक नहीं सुलझ पायेगा वह आर्बीट्रेशन एंड कंसाईलेशन एक्ट 1996 के अनुसार सुलझाया जावेगा इस हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जावेगा। आर्बीट्रेशन का अवार्ड दोनों पक्षों को मानना होगा।
15. **निविदा की अन्य शर्तें:-**
1. बिना सील किये हुये लिफाफे अमान्य कर दिये जावेंगे।
 2. लिफाफा "ए" में धरोहर राशि लिफाफा "बी" में विभिन्न शर्तों से संबंधित तकनीकी दस्तावेज तथा लिफाफा "सी" में वित्तीय ऑफर होना चाहिए तथा उनके ऊपर स्पष्ट रूप से "ए", "बी" एवं "सी" अंकित किया जाना चाहिए तथा तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए।
 3. उन्हीं एजेंसियों के वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे, जो निविदा की सभी शर्तों को पूर्ण करते हो।
 4. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

5. कर्मचारी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो। इस संबंध में संबंधित संस्था का कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी (कम से कम प्रथम श्रेणी) का प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।
6. एजेंसी को कर्मचारियों हेतु एक मुश्त निविदा दर तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शेड्यूल में विस्तृत दरें प्रति कर्मचारी /प्रतिमाह अंकित करना होगी, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम निर्धारित दरों एवं उस पर दिये जाने वाले निर्धारित ई.एस.आई.ई.पी.एफ, साप्ताहिक अवकाश एवं सर्विस टेक्स से कम न हो।
7. एजेंसी द्वारा दी जाने वाली निविदा दरों में साप्ताहिक अवकाश की गणना 26 कार्य दिवस को मानकर करना है।
8. प्रशासनिक व्यय हेतु प्रति कर्मचारी बेसीक की कुल राशि का 6.00 (छः दशमलव शून्य शून्य) प्रतिशत न्यूनतम या इससे अधिक राशि सेवा शुल्क के रूप में मान्य होगी।
9. एजेंसी को कर्मचारियों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स का गत वर्ष (2016-17) की रिटर्न के चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी तथा यदि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा उसे कार्यादेश दिया जाता है, तो प्रत्येक माह के बिल के साथ पूर्व माह के ई.पी.एफ.,ई.एस.आई. तथा सर्विस टेक्स चालानों की प्रति प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. कार्यादेश के पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के खाता नं. की जानकारी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को प्रस्तुत करना होगी।
11. यदि कोई एजेंसी ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. सर्विस टेक्स या श्रम कानूनों के अन्तर्गत डिफाल्टर साबित होती है, या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करती है, तो अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि जप्त कने का अधिकार औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा।
12. नियमानुसार समस्त देय टैक्स/कटोटिया (1) कुशल एवं आकुशल श्रमिकों हेतु लेबर कमिश्नर द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं समय-समय पर संशोधित दर देय होगा (2) ई.एस.आई (3) ई.पी.एफ (4) जी.एस.टी. के आधार पर निविदा दर प्रस्तुत करना होगा।
13. एजेंसी के कर्मचारी जिस कंपनी/संस्था में कार्यरत है, उनका पता एवं टेलीफोन नंबर की जानकारी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगी।
14. कर्मचारी तैनात किये जाने वाले स्थलों में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल की सीमा के अन्तर्गत एवं सीमा के बाहर परिवर्तन किये जाने का अधिकार प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा, इस हेतु सुरक्षा एजेंसी को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. यदि कर्मचारियों के कार्य स्थल से निगम की किसी चल-अचल सम्पत्ति की क्षति होती है, तो उसकी वसूली संबंधित सुरक्षा एजेंसी से की जावेगी।

16. निगम में कार्य किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा।
17. प्रत्येक कर्मचारी के नाम एवं पते का पूर्ण तत्त्वात्मक विवरण औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल में प्रस्तुत करना होगा।
18. निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल से अनुबंध नहीं करने की दशा में धरोहर राशि निगम द्वारा जप्त कर ली जावेगी।
19. किसी भी कर्मचारी के अवकाश एवं बीमारी एवं अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेंसी को तत्काल नये कर्मचारी जो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा स्वीकृत हो, की व्यवस्था करनी होगी।
20. कोई कर्मचारी किसी गैर कानूनी कार्य कलाप में लिप्त पाया जाता है व उनके द्वारा अभद्रता की जाती है तथा किसी भी प्रकार के नशे में पाया जाता है, तो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को अधिकार रहेगा कि ऐसे कर्मचारी को तत्काल परिसर से हटा सके एवं एजेंसी को उपयुक्त गार्ड को इसके स्थान पर तैनात करना होगा।
21. एजेंसी को समस्त सुपरवाइजर्स एवं संबंधित स्टाफ के परिचय पत्र, पता टेलीफोन नं. प्रस्तुत करना होगा।
22. एजेंसी को प्रचलित कानूनों का पालन करना होगा।
23. एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों का श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित समय-समय पर कुशल/अकुशल श्रमिक की दर से नियमानुसार एवं विधि सम्मत हो पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। यदि कम वेतन भुगतान की शिकायत प्राप्त होती, तो यह कृत्य अनुबंध का उल्लंघन माना जावेगा।
24. निर्धारित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कर्मियों को प्रतिमाह देय राशि का भुगतान **Minimum wages Act 1948 and payment of wages Act 1936** में दिये गये प्रावधान अनुसार करना होगा।
25. निविदाकार/ एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों जो कि इस निगम में कार्य करेंगे का पुलिस सत्यापन प्रमाण –पत्र एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र शासकीय चिकित्सक का प्रमाण-पत्र निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त की पूर्ति न होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
26. एजेंसी को समस्त प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगा।
27. एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के तहत स्रोतों पर नियमानुसार आयकर काटा जावेगा।
28. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय, भोपाल होगा।
29. प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को एक अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

30. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल में उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के ई. पी.एफ. एवं इ.एस.आई. पृथक चालान से जमा कराकर चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगी।
31. अनुबंध की अवधि परस्पर सहमति के उपरांत बढ़ाई जा सकती है।
32. अनुबंध की अवधि में कर्मचारियों की बेसिक दर श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित कुशल/अकुशल श्रमिक की दरों अनुसार देय होगी। तदानुसार ही ई. एस.आई, ईपी.एफ. साप्ताहिक अवकाश एवं सर्विस टैक्स आदि देय होंगे। सेवा शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।
33. उक्त विवरणों के साथ कर्मचारी कार्यरत करने के उपरांत अन्य कर्मचारी की बदली करने पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को सूचित कर संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
34. एजेंसी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सर्विस टैक्स विभाग या न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।
35. समस्त वांछित दस्तावेजों एवं निविदा प्रपत्र की प्रतियाँ स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
36. सफल निविदाकार अनुबंधित कार्य को किसी भी स्थिति में किसी अन्य एजेन्सी को **Sublet ; k Sub Contract** नहीं कर सकेगा।
37. कर्मचारी सौंपे गये कार्य में अक्षम होने/संसाधनों का दुरुपयोग करने, प्रशासनिक लापरवाही करने अथवा उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था द्वारा सूचित करने पर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से हटाने की बाध्यता संबंधित प्रदायकर्ता एजेन्सी की होगी। हटाये गये कर्मचारी के स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी की व्यवस्था लिखित सूचना प्राप्ति के तत्काल बाद संबंधित एजेंसी को करना होगी।
38. कर्मचारी से यह उपेक्षित होगा कि वह यदि कार्य से अनुपस्थित होना/अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इसकी पूर्व सूचना एजेन्सी तथा म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को 07 दिवस पूर्व देगा तथा एजेन्सी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। यदि आकस्मिक रूप से अनुपस्थित होता है तो अनुपस्थिति की अवधि हेतु एजेन्सी को कोई भुगतान देय नहीं होगा परन्तु सूचना के 03 दिवस उपरांत भी वैकल्पिक तौर पर कर्मचारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर ऐसे प्रत्येक दिवस हेतु प्रतिदिन रू. 100/- (सौ रूपये) मात्र की पेनाल्टी लगाई जावेगी, जो एजेन्सी के अगले देय भुगतान से वसूल की जावेगी।

सुरक्षा गार्ड हेतु अतिरिक्त शर्तः-

1. सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रायवेट सिक्यूरिटी अभिकरण अधिनियम 2005 म.प्र.के अन्तर्गत निविदाओं में भाग लेने हेतु गृह विभाग के द्वारा जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
2. सुरक्षा गार्ड शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो। इस संबंध में संबंधित संस्था का कार्यादेश एवं सक्षम अधिकारी (कम से कम प्रथम श्रेणी) का प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।
3. तैनात किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों को वर्दी एवं लाठी दिया जाना आवश्यक होगा, जिसकी व्यवस्था स्वयं सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जावेगी। इस हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
4. युनिफार्म, लाठी तथा अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु प्रति गार्ड कुल राशि का 6.00 (छः दशमलव शून्य शून्य) प्रतिशत की राशि या इससे अधिक ही सेवा शुल्क के रूप में मान्य होगी ।
5. सुरक्षा एजेंसी के गार्ड जिस कंपनी/संस्था में कार्यरत है, उनका पता एवं टेलीफोन नंबर की जानकारी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगी ।
6. सुरक्षा गार्ड तैनात किये जाने वाले स्थलों में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल की सीमा के अन्तर्गत एवं सीमा के बाहर परिवर्तन किये जाने का अधिकार प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को होगा, इस हेतु सुरक्षा एजेंसी को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
7. लगाये जाने वाले गार्डों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
8. प्रत्येक गार्ड का फोटो, नाम एवं पते का विवरण औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल में प्रस्तुत करना होगा ।
9. किसी भी सुरक्षा कर्मी के अवकाश एवं बीमारी की स्थिति में सुरक्षा एजेंसी को तत्काल नये गार्ड जो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा स्वीकृत हो, की व्यवस्था करनी होगी ।
10. सुरक्षा एजेंसी को समस्त सुपरवाइजर्स एवं अन्य स्टाफ के परिचय पत्र, पता टेलीफोन नं. प्रस्तुत करना होगा ।
11. सुरक्षा एजेंसी को प्रचलित सुरक्षा कानूनों का पालन करना होगा ।
12. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं इत्यादि से संबंधित न्यायालयीन अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा ।

कार्यपालन यंत्री

म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल

01.10.2017 से 31.03.2018 तक श्रमिकों की दरें श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा परिवर्तित एवं निगम द्वारा निर्धारित की गई प्रतिमाह निविदा दर/ऑफर

S.No.	Description	कार्यपालक सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर (उच्च कुशल), सुरक्षा गार्ड, हेल्पर
	Basic as decided by labour commissioner M.P./M.P. AKVN, Bhopal/Collector Bhopal as per minimum wages prescribed decided.	
01.	Service Charge @ _____ % in words (..... Percent) of basic + weekly off (Rest) only for Computer Operator & Security Guard.	

Signature

Name of Contractor/Firm

.....
Add:

.....

Mob. No.

Executive Engineer
MP Audyogik Kendra Vikas Nigam Bhopal

MP Audyogik Kendra Vikas Nigam (Bhopal) Ltd. Bhopal
Tawa Complex, First Floor, Bittan Market, E-5, Arera Colony Bhopal-4620016

We furnish here under the details of Demand Drafts submitted towards MPAKVN
(B) Ltd. Bhopal document & Earnest Money Deposit fees.

Details	Tender Document Fees	Earnest Money Deposit
DD No.		
Date		
Name of the issuing Bank		
Name of the Unit		
Amount		

Yours Faithfully
Authorized Signatories
(Name & Designation Seal of The firm)

MP Audyogik Kendra Vikas Nigam, Bhopal
Tawa Complex, First Floor, Bittan Market, E-5, Arera Colony Bhopal-4620016

Annexure-II

FORMAT OF APPLICATION FOR EMPANELMANT
OF PRIVATE OUT SOURCE SERVICE

1.	Name of the Organization PSA	
2.	Address & Contact Numbers	
3.	No. of Supervisors/Office staff available in each office in Madhya Pardesh their Addresses & Contact Numbers	
4.	Year of establishment (Submit Proof)	
5.	Status of the firm (whether Pvt. Ltd. company / Public Ltd. Company / Partnership firm / Proprietary)	
6.	Name of the Director / Partners / Proprietor	
7.	Whether registered with registrar of companies/ Firms –mention number and date with proof	
8.	Latest Police Verification Certificate Form Superintendent of Police , (S.P.) Bhopal Office.	
9.	Whether registered for service tax mention number and date. Also furnish copies of service tax number allotted & Latest audit report.	
10.	Whether assesses of Income tax payee. mention PAN, furnish copies of last three year income tax return	
11.	Whether having certificate from ESI Corporation, attach copy of registration latest compliance report.	
12.	Whether Complying with the applicable minimum wages of Madhya Pradesh as per Act. proof along with fee deposited.	
13.	Whether registered under Private Security Regulation Act.-2005 for state one few districts attach proof along with fee deposited.	
14.	Name and address of Bankers	
15.	Nameable to provide Out Source Service/Helper at all locations in MP including rural unit. if not the n list name of locations.	

16.	Whether empanelled with other Government organization/ Bank / Companies, in the State of Madhya Pradesh, if so give name of organization with No. of Security Services (Un armed) deployed with location, contact person in that organization and telephone Nos.	
17	3 Years annual turnover Rs. 1,00,00,000.00 Per Year.	
18	Details of workmen insurance policy	

Signatories

Name

Designation

Affix Company seal

DECLARATION

1. I/We have read the instruction appended to the Performa and I/We understand that if any false information is detected at later date, any contact made between ourselves and MP AKVN Bhopal, on the basis of the information given by me/us can be treated as invalid by the MPAKVN Bhopal and I/We will be solely responsible for the consequences.
2. I/We agree that the decision of Managing Director, MP Audyogik Kendra Vikas Nigam Bhopal ----- in selection of contractor/ party will be final and binding to me/us.
3. All the information furnished by me/us above here is correct to the best of my/our knowledge and belief.
4. I/We agree that I/We have no objection if enquiries are made about the work listed by me/us here in above and/or in the accompanying sheets.

Place

Date

SIGNATURE

Name & Designation Seal of The Company

AGREEMENT NO./2017-18/DATE

This deed of agreement made this Day of
.....at Bhopal Between -----
(Contractor herein after referred to as contractor) on the one part and the General
Manager MP Audyogik Kendra Vikas Nigam, Bhopal on the other part.

This agreement is on following terms and conditions:-

- (i) Name of work :- -----
- (ii) Estimated cost :- -----
- (iii) Approved Rate :- -----

(iv) I do hereby agree to abide by the all terms and conditions in the printed Tender Document and NIT No. Dt. which is a printed parcel of the agreement.

(v) I do hereby agree that in case of any dispute arising about the contract it shall be decided under arbitration & cancellation Act. 1996 Managing Director MP Audyogik Kendra Vikas Nigam, Bhopal shall be the whole authority to decide the dispute and his decision shall be final and conclusive and binding on the parties.

Signature of Contractor

Witness:

1.

2.

Executive Engineer
MP Audyogik Kendra Vikas
Nigam, Bhopal